

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीशसिंह आशिया ,आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :- 74/2022
वादीगण

बनाम प्रतिवादीगण

1. गंगाराम पुत्र लच्छाराम
2. पुराराम पुत्र लच्छाराम निवासी झरड़ासर तहसील नौखड़ा, जिला बाड़मेर

1. वगताराम पुत्र लच्छाराम निवासी झरड़ासर तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
2. अजाराम पुत्र लाधाराम
3. ईशराराम पुत्र लाधाराम
4. हरखाराम पुत्र लाधाराम
5. सताराम पुत्र लाधाराम जाति जाट निवासी सड़ा झुण्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
6. आसूराम पुत्र लाधाराम फौत के कायम मुकाम
6/1 जुजाराम पुत्र आसूराम
6/2 केली पुत्री आसूराम
6/3 पारू पुत्री आसूराम
6/4 लेहरो पुत्री आसूराम
6/5 चैनीदेवी पत्नी आसूराम
7. हड़मानराम पुत्र जेताराम
8. नेनूदेवी पत्नी जेताराम जाति जाट निवासी झरड़ासर तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर
9. देवाराम पुत्र मेसाराम
10. मांगाराम पुत्र मेसाराम
11. शेरू पत्नी मेसाराम, जाति जाट निवासी सड़ा झुण्ड तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
12. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी. शाखा सड़ा
13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-



3
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 13 के पैरोकार सरकार उप।
3. शेष प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 16.01.2025

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत मौजा सड़ा झूण्ड के खसरा संख्या 220 रकबा 15.0636 हैक्टेयर तहसील सिणधरी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 11.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार वाई मिटस एण्ड वाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम टूकिया तहसील सिणधरी की भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	बरंग
1	गंगाराम 1/2 पूराराम 1/2 पि. लच्छाराम जाति जाट निवासी छोटू खातेदार	220	2.5106	बा.दो.	हरा
2	अजाराम पुत्र लाधाराम 3/50 सताराम पुत्र लाधाराम 3/50 जूंजाराम पुत्र आसूराम 3/250 केली पुत्री आसूराम 3/250 पारु पुत्री आसूराम 3/250 लेहरो पुत्री आसूराम 3/250 चैनीदेवी पत्नी आसूराम 3/250 हरखाराम पुत्र लाधाराम 3/50 ईराराम पुत्र लाधाराम 3/50 वगताराम पुत्र लच्छाराम 1/10 हड़मान पुत्र जेताराम 3/20 नेनू पत्नी जेताराम 3/50 मांगाराम पुत्र मेसाराम 1/10 देवाराम पुत्र मेसाराम 1/10 शेरु पत्नी मेसाराम 1/10 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन- वगताराम के अलावा सम्पूर्ण खाता रहन RMGB शाखा सड़झ	220	12.5530	बा.दो.	लाल

तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर वाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिव जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

